

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव
अनुमति पत्र**

क्रमांक / 1120 / प्रस्तु-1 / अ.वि.अ. / 2025
प्रति

रा.प्र.क्र 202501092100044 वर्ष 2024-25
डोंगरगढ़ दिनांक 07/04/2025

गौतरिहा
पिता/पति दर्शन वर्ग गोंड
निवासी बांसपहाड़, प.ह.नं. 05
तहसील लाल बहादुर नगर थाना बोरतलाव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति ।

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 21/01/2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ । राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 21/01/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 05/03/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :-

ग्राम बांसपहाड़ स्थित भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 2.517 हेक्टेयर भूमि में स्थित है जिसमें सागौन वृक्ष की भौतिक स्थिति सरल क्रमांक 01 सागौन वृक्ष की गोलाई 154 से.मी. अर्द्धमृत, सरल क्रमांक 02 सागौन वृक्ष की गोलाई 200 से.मी. सूखा गिरा, सरल क्र 03 सागौन वृक्ष की गोलाई 102 से.मी. सूखा, सरल क्र 04 सागौन वृक्ष की गोलाई 92 से.मी. अर्द्धमृत, सरल क्र 05 सागौन वृक्ष की गोलाई 138 से.मी. अर्द्धमृत, सरल क्र 06 सागौन वृक्ष की गोलाई 122 से.मी. सूखा, सरल क्र 07 सागौन वृक्ष की गोलाई 90 से.मी. सूखा, सरल क्र 08 सागौन वृक्ष की गोलाई 128 से.मी. अर्द्धमृत, सरल क्र 09 सागौन वृक्ष की गोलाई 122 से.मी. गीला गिरा, सरल क्र 10 सागौन वृक्ष की गोलाई 76 से.मी. गीला गिरा वृक्ष सरल क्र. 11 सागौन वृक्ष की गोलाई 128 से.मी. सूखा वृक्ष।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर 52 रकबा 2.517 हेक्टेयर ग्राम बांसपहाड़ प.ह.नं. 05 तहसील लाल बहादुर नगर स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन तहसीलदार के प्रतिवेदन/संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन (राजस्व निरीक्षक एवं वनविभाग) के आधार पर उपरोक्त वर्णित में से सरल क्रमांक 01 सागौन वृक्ष की गोलाई 200 से.मी. सूखा वृक्ष, सरल क्रमांक 02 गोलाई 102 से.मी. सूखा वृक्ष, सरल क्रमांक 03 गोलाई 122 से.मी. सूखा वृक्ष, सरल क्रमांक 04 गोलाई 128 से.मी. सूखा खड़ा वृक्ष है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

वृक्षों की कटाई वन विभाग के द्वारा की जावेगी। छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक 21/01/2025 से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

पृ. क्रमांक / 112 / प्रस्तु-1 / अ.वि.अ. / 2025
प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (वन) डोंगरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार डोंगरगढ़/ला.ब.नगर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।
4. हल्का पटवारी बांसपहाड़, तहसील लाल बहादुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगढ़ (छ.ग.)

डोंगरगढ़ दिनांक 07/04/2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगढ़ (छ.ग.)